(d) Govt, of NCT of Delhi have launched 84 cases in Court and Court has issued non-bailable Warrant against accused persons in all these prosecutions. Additionally, C.B.I, has also filed a chargesheet under relevant Sections of Indian Penal Code on 23-11-98 in the designated court against certain accused persons.

A project for strengthening the enforcement machinery in the food sector in States/UTs in terms of manpower, equipment and laboratory facilities with World Bank assistance is on the anvil.

जलोदर (ड्राप्सी) द्वारा हुई मौतों के लिए केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी

687. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्री राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने विगत अगस्त के अंतिम सप्ताह में मिलावटी सरसों का तेल खाने से हुई मौतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार उठाया है; यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है;

(ख) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में बदलाव करने संबंधी मामला काफी लंबे समय से केंद्र सरकार के पास लंबित है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनेक स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और सरकार उक्त अधिनियम में बदलाव के संबंध मैं क्या निर्णय लेना चाहेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिमलाई): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने अगस्त-सितम्बर 1991 के दौरान दिल्ली और देश के अन्य भागों में ड्राप्सी रोग के कारण हुई मौतों के लिए केंद्रिय सरकार को जिम्मेदारी नहीं ठहराया है । अंतः केंद्रीय सरकार द्वार कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) से (ग) वर्ष 1995 में गठित कार्य दल द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में अनेक संशोधन सुझाए गए है, जिन पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कार्रवाई/विचार किया जा रहा है। उपभोक्ता संगठनों से भी उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य अपमिश्रण की समस्या से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने हाल ही में दण्ड में वृद्धि करने की सिफारिश की है । इन सभी सिफारिशों पर प्रभावित वर्गों द्वारा व्यक्त चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है ।

Ineffective organisational set up for implementation of prevention of food adulteration Act in States

688. SHRI VIJAY J. DARDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether organisational set up in the States for implementation of Prevention of Food Adulteration Act is by and large weak, inadequate and ineffective;

(b) if so, whether indepth review of performance of the State organisations vested with the responsibility of prevention of food adulteration has been undertaken in the recent past; if so, the details thereof;

(c) the steps taken/proposed to be taken to strengthen the State Agencies and make them effectie to deal with the all pervading phenomenon of adulteration in food, playing havoc with the public life; and

(d) the details of steps proposed to set up food licensing and monitoring body in each State and the follow up action taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) to (c) A review of performance of machinery available in the States for enforcement of the provisions of PFA Act 1954 indicates the need to strengthen them' in terms of manpower, equipment and other infrastructural facilities.

Some of the remedial measures being taken in this regard include:

(1) Orientation training to chemists, food inspectors and consumer organizations for updating them about the various measures possible to contain adulteration.

(2) Formulation, in consultation with the States, of a capacity building project for the food sector, for augmenting the enforcement machinery and lab. facilities, with World Bank assistance.